प्रेस नोट जनपद प्रतापगढ़ दिनांक- 30.08.2026

थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़

सड़क घेरकर खतरनाक तरीके से वाहन चलाते हुए स्टंटबाजी एवं रील बनाने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना हथिगवां पुलिस द्वारा सड़क पर खतरनाक तरीके से वाहन चलाकर स्टंटबाजी एवं सोशल मीडिया पर उसका वीडियो प्रसारित करने के मामले में 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 27.08.2026 को थाना हथिगवां क्षेत्रान्तर्गत पुरनेमऊ-बेंती मार्ग पर ग्राम महेवा मोहनपुर निवासी आकाश पासी पुत्र दिनेश पासी के जन्मदिन के अवसर पर उसके भाई विकास पासी एवं अन्य साथियों द्वारा डिजायर VXI कार संख्या DL1CAH3861 एवं कई दोपहिया वाहनों से सड़क को घेरकर लापरवाही एवं खतरनाक तरीके से वाहन चलाते हुए स्टंटबाजी की गई। इस दौरान आकाश पासी एवं विकास पासी द्वारा कार की छत पर खड़े होकर रील बनाए जाने का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर प्रसारित किया गया। उक्त कृत्य से आम राहगीरों की सुरक्षा प्रभावित होने एवं यातायात बाधित होने के संबंध में थाना हथिगवां पर मु0अ0सं0 184/2026, धारा 281, 125, 292, 3(5) बीएनएस के तहत 1. आकाश पासी पुत्र दिनेश पासी, 2. विकास पासी पुत्र दिनेश पासी, निवासीगण महेवा मोहनपुर, थाना हथिगवां, जनपद प्रतापगढ़, 3. डिजायर VXI वाहन संख्या DL1CAH3861 के चालक नाम-पता अज्ञात एवं 4. अन्य कई अज्ञात दोपहिया वाहन चालक के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय एवं क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री शिव नारायण वैस के कुशल पर्यवेक्षण में थाना हथिगवां प्रभारी निरीक्षक श्री सत्येन्द्र सिंह मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र, संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग एवं विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 184/2026, धारा 281, 125, 292, 3(5) बीएनएस से संबंधित 02 अभियुक्तों 1. आकाश पासी पुत्र दिनेश पासी एवं 2. विकास पासी पुत्र दिनेश पासी निवासीगण महेवा मोहनपुर थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-
1. आकाश पासी पुत्र दिनेश पासी निवासी महेवा मोहनपुर, थाना हथिगवां, जनपद प्रतापगढ़।
2. विकास पासी पुत्र दिनेश पासी निवासी महेवा मोहनपुर, थाना हथिगवां, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-
प्रभारी निरीक्षक श्री सत्येन्द्र सिंह मय हमराह उ0नि0 प्रिन्स तिवारी, म0उ0नि0 राखी सिंह, रि0का0 अंकित कुमार, मय सरकारी चालक लाल बहादुर सिंह, थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़।

बयान-
आमजन से अपील है कि सोशल मीडिया पर रील एवं लाइक-कमेंट के चक्कर में सड़क पर स्टंटबाजी, लापरवाही से वाहन चलाने अथवा सड़क बाधित करने जैसे खतरनाक कृत्य न करें। ऐसे कृत्यों से स्वयं के साथ-साथ आम राहगीरों की जान भी खतरे में पड़ सकती है। प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन एवं जान जोखिम में डालने वाले कृत्यों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री आशुतोष मिश्रा के पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी कोतवाली देहात श्री पुष्पराज सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 अखिलेश प्रताप मय हमराह का0 रवि प्रकाश यादव एवं सोनू यादव द्वारा थाना क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चेकिंग के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर मकरी मोड़ के पास पूरे हीरावन से मु0अ0सं0 0233/2026, धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 में वांछित अभियुक्त कुलदीप बनवासी पुत्र नन्हेलाल, उम्र करीब 21 वर्ष, निवासी ग्राम नमक शायर, थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण—
उक्त गिरोह के विरुद्ध थाना कोतवाली देहात पर दिनांक 19.08.2026 को धारा 2/3 उ0प्र. गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था। अभियुक्त कुलदीप बनवासी उक्त अभियोग में वांछित था, जिसे दिनांक 29.08.2026 को पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गई।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास—
मु0अ0सं0 231/2025, धारा 137(2), 140(2), 103(1), 238, 3(5), 61(2) बीएनएस, थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़।
मु0अ0सं0 233/2026, धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986, थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—
कुलदीप बनवासी पुत्र नन्हेलाल, उम्र करीब 21 वर्ष, निवासी ग्राम नमक शायर, थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम—
उ0नि0 अखिलेश प्रताप, का0 रवि प्रकाश यादव,का0 सोनू यादव थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़

थाना सांगीपुर पुलिस द्वारा गैर जमानती वारंट में वांछित 02 वारंटी गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना सांगीपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-282/2004, धारा 332 भादवि, थाना कोतवाली नगर से संबंधित माननीय न्यायालय के गैर जमानती वारंट के अनुपालन में वारण्टी अभियुक्तों 1- धनंजय पुत्र कान्ती प्रसाद, निवासी पूरे नेमधर, थाना सांगीपुर एवं 2-धीरज कुमार मिश्रा उर्फ आत्माधर मिश्रा पुत्र सरोधन मिश्रा उर्फ शशिधर मिश्रा, निवासी पूरे नेमधार, थाना सांगीपुर को गिरफ्तार किया गया। दोनों वारंटियों को नियमानुसार गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

पुलिस टीम-
उ0नि0 हरिन्द्र कुमार यादव, रि0का0 आलोक यादव एवं रि0का0 अमित कुमार थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़

थाना दिलीपपुर पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के मुकदमे में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से तमंचा व कारतूस बरामद-

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर एवं 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद

घटना का संक्षिप्त विवरण-
वादी के भांजे मो0 सादाब को पुरानी मुकदमेबाजी की रंजिश के चलते नवाब अली उर्फ फोल्लन, अरबाज, साहिल एवं 02 अज्ञात द्वारा स्विफ्ट कार से ओवरटेक कर रोकने के बाद फायरिंग एवं लाठी-डंडों से मारपीट कर घायल करने का आरोप है। घायल को डायल-112 की सहायता से उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया। दिनांक 21.08.2026 को थाना दिलीपपुर पर वादी नवाब अली पुत्र मो0

इसराइल की तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0-0189/2026, धारा 352/115(2)/351(3)/131/110/3(5) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार एवं क्षेत्राधिकारी पट्टी प्रदीप सिंह के पर्यवेक्षण में थाना दिलीपपुर प्रभारी निरीक्षक श्री विजयकान्त सत्यार्थी के नेतृत्व में दिनांक 30.08.2026 को उ0नि0 देवेन्द्र कुमार पाठक मय पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चेकिंग एवं मुकदमा उपरोक्त से संबंधित वांछित अभियुक्तों की तलाश की जा रही थी। मुखबिर की सूचना पर बाबा बेलखरनाथ धाम पुल के पास नजियापुर की तरफ बाग से अभियुक्त साहबे आलम उर्फ साहिल पुत्र निजाम, उम्र करीब 26 वर्ष, निवासी ग्राम पतुलकी, थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर एवं 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद होने पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई।

पूछताछ विवरण-
पूछताछ में अभियुक्त द्वारा दिनांक 21.08.2026 को मो0 सादाब पर फायरिंग एवं मारपीट की घटना में शामिल होना बताया गया। अभियुक्त के कथन के अनुसार वह अन्य आरोपियों के साथ स्विफ्ट कार से सादाब का पीछा कर रहा था तथा घटना के दौरान उसी द्वारा तमंचे से फायर किया गया था। प्रकरण में प्रकाश में आए तथ्यों के आधार पर विवेचना में नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1-साहबे आलम उर्फ साहिल पुत्र निजाम, उम्र करीब 26 वर्ष, निवासी ग्राम पतुलकी, थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़।

अपराधिक इतिहास — अभियुक्त साहबे आलम उर्फ साहिल पुत्र निजाम, निवासी ग्राम पतुलकी, थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़
1-मु0अ0सं0-435/2022, धारा 147, 148, 149, 286, 307, 323, 452, 504, 506 भादवि, थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़।
2-मु0अ0सं0-616/2024, धारा 115(2), 351(3), 352 बीएनएस, थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़।
3-मु0अ0सं0-137/2026, धारा 3(5), 310(4), 310(5) बीएनएस व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़।
4-मु0अ0सं0-189/2026, धारा 115(2), 352, 351(3), 131, 3(5), 109(1), 126(2) बीएनएस व बढ़ोत्तरी धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-
1- 01 तमंचा 315 बोर ।

2-01 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

पुलिस टीम—
उ0नि0 देवेन्द्र कुमार पाठक, का0 आशीष, का0 लक्ष्मण, रि0का0 गौरव थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़

थाना लालगंज पुलिस द्वारा 04 अदद अवैध देशी बम के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री राजीव द्विवेदी के पर्यवेक्षण में थाना लालगंज प्रभारी निरीक्षक श्री आलोक कुमार के नेतृत्व में उ0नि0 दीपक कुमार , हे0का0 जाहिद हुसैन, का0 नितीश यादव, का0 श्रीचन्द्र, रि0का0 राजीव कुमार, रि0का0 अमित कुमार एवं रि0का0 आशीष कुमार द्वारा रात्रि गश्त एवं संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर जगन्नाथपुर पुलिया के पास से 01 अभियुक्त हरीलाल उर्फ छम्मा पुत्र श्री राम, निवासी ग्राम बेनीदीन का पुरवा उछापुर, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 23 वर्ष को 04 अदद अवैध देशी सुतली बम के साथ गिरफ्तार किया गया।

उक्त बरामदगी के आधार पर थाना लालगंज पर मु0अ0सं0-340/2026, धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—
हरीलाल उर्फ छम्मा पुत्र श्री राम, उम्र करीब 23 वर्ष, निवासी ग्राम बेनीदीन का पुरवा उछापुर, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़।

आपराधिक इतिहास-
1-हरीलाल उर्फ छम्मा पुत्र श्री राम निवासी ग्राम बेनीदीन का पुरवा उछापुर थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 23 वर्ष
1.मु0अ0सं0 176/25 धारा 117(3)/303(2) बीएनएस थाना कोतवाली बीकापुर जनपद अयोध्या।
2.मु0अ0सं0 211/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना इनायतनगर जनपद अयोध्या।
3.मु0अ0सं0 414/25 धारा 303(2)/317(4) बीएनएस थाना पूरा कलन्दर जनपद अयोध्या।
4.मु0अ0सं0 310/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना इनायतनगर जनपद अयोध्या।
5-मु0अ0सं0-340/2026, धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी—

04 अदद अवैध देशी सुतली बम।

पुलिस टीम—
उ0नि0 दीपक कुमार, हे0का0 जाहिद हुसैन, का0 नितीश यादव, का0 श्रीचन्द्र, रि0का0 राजीव कुमार, रि0का0 अमित कुमार एवं रि0का0 आशीष कुमार, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।

थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़

विद्यालय में शिक्षिका से मारपीट के प्रकरण में अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण—
दिनांक 27.08.2026 को पार्वती ग्लोबल साइंस स्कूल, नौबस्ता में शिक्षिका पलक मिश्रा द्वारा एक छात्र को विद्यालय के खरगोश को मारने पर डांटने की रंजिश को लेकर सौम्या मिश्रा एवं अभिषेक मिश्रा द्वारा विद्यालय परिसर में घुसकर शिक्षिका के साथ लात-घूंसों एवं बाल खींचकर मारपीट करने तथा जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। बीच-बचाव करने आए अन्य शिक्षकों के साथ भी अभद्रता की गई। प्रकरण में दिनांक 28.08.2026 को वादी संजय कुमार मिश्रा की तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0-140/2026, धारा 115(2)/352/351(3) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना देल्हूपुर पुलिस द्वारा उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त अभिषेक मिश्रा पुत्र राजेन्द्र प्रसाद मिश्रा, उम्र करीब 30 वर्ष, निवासी ग्राम बबुरहा, थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़ को दिनांक 29.08.2026 को विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान वादी पक्ष के साथ पुनः विवाद कर फौजदारी पर आमादा होने तथा शांति एवं कानून-व्यवस्था भंग होने की आशंका के दृष्टिगत धारा 170/126/135 बीएनएसएस के अंतर्गत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय चालान किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—
अभिषेक मिश्रा पुत्र राजेन्द्र प्रसाद मिश्रा, उम्र करीब 30 वर्ष, निवासी ग्राम बबुरहा, थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम—
उ0नि0 शिवा प्रजापति मय हमराह का0 उपेन्द्र कुमार, थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़

थाना पट्टी पुलिस द्वारा न्यायालय से जारी गैर जमानती वारंट में वांछित 01 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना पट्टी पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, कोर्ट नं0-02 द्वारा जारी वारंट के अनुपालन में सेशन ट्रायल संख्या-198/2016, संबंधित मु0अ0सं0-67/2014, धारा 436/323/506 भादवि, थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित वारंटी अभियुक्त जीतलाल बनवासी पुत्र स्व0 रघुनाथ बनवासी, उम्र करीब 52 वर्ष, निवासी ग्राम हरिपुर बरदैता, थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ को दिनांक 30.08.2026 को उसके घर के बाहर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—
1-जीतलाल बनवासी पुत्र स्व0 रघुनाथ बनवासी, उम्र करीब 52 वर्ष, निवासी ग्राम हरिपुर बरदैता, थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम—
उ0नि0 प्रदीप कुमार मय हमराह हे0का0 शत्रु शुक्ला एवं का0 नवीन कुमार, थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़।

थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़

अपहरण के मुकदमे में वांछित चल रहे 01 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना फतनपुर पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में मु0नं0-161/2009, सेशन केस नं0-461/2016, धारा 363/366 भादवि, थाना रानीगंज से संबंधित गैर जमानती वारंट (NBW) में वांछित चल रहे वारंटी अभियुक्त सूर्य प्रकाश उर्फ टिंकू पुत्र स्व0 रामनारायण, उम्र करीब 35 वर्ष, निवासी ग्राम बासी, थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़ को दिनांक 30.08.2026 को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त को नियमानुसार चिकित्सीय परीक्षण उपरांत माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त—
सूर्य प्रकाश उर्फ टिंकू पुत्र स्व0 रामनारायण, उम्र करीब 35 वर्ष, निवासी ग्राम बासी, थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम—
उ0नि0 सुनील कुमार गुप्ता मय हमराह रि0आ0 निखिल प्रसाद एवं रि0आ0 सुबोध यादव, थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कंधई पुलिस द्वारा 03 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा न्यायालय से जारी गैर जमानतीय वारण्टों के अनुपालन एवं वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना कंधई के उ0नि0 सुरेश कुमार यादव मय हमराह का0 विशाल कुमार वर्मा, उ0नि0 राजकुमार मिश्रा मय हमराह रि0का0 शिवम कुमार मौर्या तथा उ0नि0 अनूप कुमार यादव मय हमराह रि0का0 अभिषेक कुमार सिंह द्वारा तलाश वारण्टी/चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति एवं वाहन के दौरान न्यायालय से जारी NBW के अनुपालन में मु0अ0सं0 04/1999 धारा 323/504/506 भादवि से संबंधित वारण्टी धीरज उर्फ लक्ष्मीकान्त दुबे पुत्र स्व0 ओंकारनाथ दुबे निवासी ग्राम फेनहा थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़, मु0अ0सं0 191/2008 धारा 323/504/506 भादवि से संबंधित वारण्टी श्याम लाल सरोज पुत्र स्व0 ठाकुरदीन सरोज निवासी ग्राम खुशा का पुरवा (कंधई मधुपुर) थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़ तथा मु0अ0सं0 73/2000 धारा 323/504/506/452 भादवि से संबंधित वारण्टी दयाशंकर पुत्र स्व0 कालूराम निवासी ग्राम नेवरा थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़ को थाना क्षेत्रान्तर्गत उनके घरों से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तों को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तों का विवरण-
1. धीरज उर्फ लक्ष्मीकान्त दुबे पुत्र स्व0 ओंकारनाथ दुबे, निवासी ग्राम फेनहा थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 50 वर्ष।
2. श्याम लाल सरोज पुत्र स्व0 ठाकुरदीन सरोज, निवासी ग्राम खुशा का पुरवा (कंधई मधुपुर) थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 65 वर्ष।
3. दयाशंकर पुत्र स्व0 कालूराम, निवासी ग्राम नेवरा थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 48 वर्ष।

पुलिस टीम -
उ0नि0 सुरेश कुमार यादव मय हमराह का0 विशाल कुमार वर्मा, उ0नि0 राजकुमार मिश्रा मय हमराह रि0का0 शिवम कुमार मौर्या एवं उ0नि0 अनूप कुमार यादव मय हमराह रि0का0 अभिषेक कुमार सिंह, थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़।

थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना मानिकपुर पुलिस की कार्यवाही, नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा धारा-87/137(2) बीएनएस से संबंधित नाबालिग पीड़िता/अपहृता को कुण्डा रेलवे स्टेशन से सकुशल बरामद करते हुए अभियुक्त मुकेश कुमार को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया-कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री शिवनारायण वैस के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी मानिकपुर के नेतृत्व में व0उ0नि0 राम नारायण सिंह मय हमराह का0 संदीप पटेल, रि0का0 प्रिंस राय व म0का0 रागिनी द्वारा देखभाल क्षेत्र/विवेचनात्मक कार्यवाही एवं पीड़िता/अपहृता की तलाश के दौरान मुखबिर की सूचना पर धारा-87/137(2) बीएनएस थाना मानिकपुर से संबंधित नाबालिग पीड़िता/अपहृता को कुण्डा रेलवे स्टेशन से सकुशल बरामद किया गया तथा नामजद अभियुक्त मुकेश कुमार पुत्र सहदेव सरोज निवासी कुशाहिल बाजार थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 19 वर्ष को मौके से गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण-
पूछताछ में अभियुक्त मुकेश कुमार ने बताया कि वह पीड़िता/अपहृता को जानता है तथा दिनांक 29/30.08.2026 की रात्रि उसे शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जा रहा था। कुण्डा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करते समय पुलिस द्वारा दोनों को पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. मुकेश कुमार पुत्र सहदेव सरोज निवासी कुशाहिल बाजार थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 19 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-
व0उ0नि0 राम नारायण सिंह मय हमराह का0 संदीप पटेल, रि0का0 प्रिंस राय व म0का0 रागिनी, थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोहंडौर, जनपद प्रतापगढ़।

प्रतापगढ़ पुलिस की बड़ी कार्यवाही : धर्मांतरण, दुष्कर्म, धोखाधड़ी एवं धमकी के प्रकरण में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना कोहंडौर पुलिस द्वारा धर्मांतरण, दुष्कर्म, धोखाधड़ी एवं जान से मारने की धमकी के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त गुलफान शेख को गिरफ्तार किया गया।

प्रतापगढ़।
प्रार्थिनी की तहरीर के आधार पर आरोप है कि अभियुक्त गुलफान शेख द्वारा शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया, जिससे वह गर्भवती हुई और जबरन गर्भपात कराने, धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने एवं धर्म परिवर्तन कराने, निकाह न करने तथा उसके सोने के आभूषण एवं नकदी हड़पने का आरोप है। साथ ही अभियुक्त द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार कर फर्जी नाम से आधार कार्ड

बनवाने तथा विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है। प्रकरण में थाना कोहंडौर पर धारा 69/89/318(4)/336(2)/191(2)/115(2)/352/351(3) बीएनएस व 3/5(1) उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम-2021 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया-कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष अनुपम त्रिपाठी के नेतृत्व में उ0नि0 अनिल कुमार सिंह मय हमराह का0 सत्यम सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र/पेण्डिंग विवेचना/तलाश वांछित एवं वारण्टी अभियुक्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर अंतर्गत धारा 69/89/318(4)/336(2)/191(2)/115(2)/352/351(3) बीएनएस व 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम-2021 से संबंधित वांछित अभियुक्त गुलफान शेख पुत्र गुलाम मोहम्मद निवासी ग्राम पूरे रामदेव नरहरपुर थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 27 वर्ष को बरौली नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. गुलफान शेख पुत्र गुलाम मोहम्मद निवासी ग्राम पूरे रामदेव नरहरपुर थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 27 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 अनिल कुमार सिंह मय हमराह का0 सत्यम सिंह, थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़।